

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
सरकारी ई-बाजार स्थल

2860. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

श्री कैप्टन बृजेश चौटा:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है कि सरकारी ई-बाजार स्थल (जीईएम) लघु और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए एक समावेशी और सुलभ मंच बना रहे;
- (ख) स्टार्टअप और महिला उद्यमियों को जीईएम का दक्षतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आयोजित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और जीईएम पर स्टार्टअपों की सहायता करने के लिए अधिमान्य खरीदनीतियों जैसे किसी वित्तीय प्रोत्साहनों की शुरुआत करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) दक्षिण कन्नड़ से जीईएम पर पंजीकृत महिलाओं के नेतृत्व वाले और स्टार्टअप उद्यमों की संख्या कितनी है और उनकी भागीदारी और खरीद के अवसरों को बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) लघु एवं महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए एक समावेशी और सुगम्य मंच बना रहे:

- प्रत्यक्ष खरीद/खरीद के एल1 मोड में महिला उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पाद कैटलॉग को अलग करने के लिए मार्केटप्लेस फिल्टर और उत्पाद कैटलॉग आइकन का प्रावधान।
- जमानत राशि के भुगतान से छूट।
- 8 “#वोकल फॉर लोकल” जीईएम आउटलेट स्टोर के सृजन के माध्यम से महिलाओं, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और बुनकरों, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) आदि के लिए अग्रिम बाजार लिंकेज,

- जीईएम प्लेटफॉर्म पर 2-चरणीय विक्रेता ऑटो-पंजीकरण के लिए उद्यम एमएसएमई डेटाबेस के साथ एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एकीकरण,
- मुख्य खिलाड़ियों अर्थात्; लघु उद्योग भारती, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ), स्वरोजगार महिला एसोसिएशन उद्योग, सरकारी और गैर-लाभकारी क्षेत्र के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से कार्यनीतिक संबंध ।
- भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)/इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड (आईईएलएम) में आयोजित उद्योग प्रदर्शनियों, मेलों, रोड शो और कार्यक्रमों आदि में भागीदारी
- विक्रेताओं की इमर्सिव ऑनबोर्डिंग (पोर्टल पर विक्रेता पंजीकरण से लेकर उत्पाद सूची अपलोड तक), संभावित विक्रेताओं के बीच रुचि और सहभागिता बढ़ाने के लिए विक्रेताओं की सफलता की कहानियों को सूचीबद्ध करना।

(ख): चालू वित्त वर्ष में लघु उद्योग भारती, अमेज़न सहेली, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), एफआईसीसीआई, एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया (एएलईएपी) जैसे एमएसएमई संगठनों के साथ 35 साप्ताहिक विक्रेता ऑनबोर्डिंग कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(ग): एक संपूर्ण ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में, जीईएम सार्वजनिक खरीद को नियंत्रित करने वाले मौजूदा सरकारी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करता है। उपर्युक्त के अनुरूप, जीईएम द्वारा (क) महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, और (ख) स्टार्टअप्स के संबंध में नीचे उल्लिखित कुछ सकारात्मक कार्रवाईयां की गई हैं:

- जीईएम प्रत्यक्ष खरीद/एल1 खरीद मोड में महिला उद्यमियों द्वारा उत्पाद कैटलॉग को अलग करने के लिए बाज़ार फ़िल्टर और उत्पाद कैटलॉग आइकन प्रदान करता है, जिससे दृश्यता और पहुंच प्रदान होती है, जिससे सरकारी खरीदारों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसईस) आदेश, 2012 (यथासमय संशोधित) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का अनुपालन करना सरल हो जाता है।
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स बयाना राशि (ईएमडी) जमा कराने से छूट, जीईएम पोर्टल पर पूर्व टर्नओवर और पूर्व अनुभव से छूट जैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीईएम ने जीईएम पोर्टल पर आवश्यक कार्यक्षमता सृजित की है, जिससे खरीदार पोर्टल पर बोलियों का सृजन करते समय ऐसी छूट प्रदान कर सकते हैं।

(घ): दिनांक 12 मार्च 2025 तक, दक्षिण कन्नड़ जिले से 97 उद्यम सत्यापित महिला-नेतृत्व वाले एमएसई को जीईएम पर पंजीकृत किया गया है। जीईएम पर डीपीआईआईटी पंजीकृत स्टार्टअप्स का जेन्डर आधारित पृथक जिला स्तरीय डेटा जीईएम पोर्टल पर नहीं रखा जाता है। उनकी भागीदारी और खरीद के अवसरों को बढ़ाने के लिए की गई पहलों का उल्लेख ऊपर (क) भाग में किया गया है।
